



INDIA NON JUDICIAL

IN-UP3320157259544 URIE

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	IN-UP0023157459014V	LICENCE NO: 9/12/2021 Tehsil & District-Kasauli, Dehradoon
Certificate Issued Date	01-Sep-2023 06:40 PM	
Account Reference	NEWIMPACC (5V) up14477404/ KARW SADAR/ UP-CTK	
Unique Doc. Reference	SUBIN-UPUP1447740402064252187779V	
Purchased by	RAMPYARE KRISHNAVATI TEC DEV EDU N REC CHARI TRUST	
Description of Document	Article 4 Affidavit	
Property Description	NA	
Consideration Price (Rs.)		
First Party	RAMPYARE KRISHNAVATI TEC DEV EDU N REC CHARI TRUST	
Second Party	BORD OF TEC EDU UP	
Stamp Duty Paid By	RAMPYARE KRISHNAVATI TEC DEV EDU N REC CHARI TRUST	
Stamp Duty Amount(Rs.)	100 (One Hundred only)	



*John*

Jan



प्राप्ति विभाग Presented to the  
Government of India by  
रामचंद्र कुलगांवती टेक्निकल एक्यूलेसिस - विश्वा. १९८८  
डायरेक्टर सुधीर मिशन विकासी बालबन्धन दिव्य  
५१३, प्रकाशनगांव कैनोनिकल एवं अवलोकी  
Ministry of Child Labour

(C) Received Rs 35/- As my fee

Curriculum Almanac

2. The status of, or exemption from, the requirement should be verified at [www.ams.usda.gov/eligibility/apply/](http://www.ams.usda.gov/eligibility/apply/). Federal crop insurance may be available to individuals in the Commonwealth who are available for the service. Middle Age Veterans if eligible.

(प्रारूप-“अ”)

उत्तर 2023-24 में नवसंवाधित जी जाने वाली डिप्लोमा इन कार्मिकी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अधीक्षा और संवित द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी उपर्युक्त का प्रारूप

हम इस लिए (नाम लिखिए) \_\_\_\_\_ (नाम लिखिए) \_\_\_\_\_ क्रमांक अंक एवं

संचित (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं जाति) \_\_\_\_\_ ग्रामांकित विभाग विभाग करती है - \_\_\_\_\_

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा (संघीय का नाम एवं जाति) \_\_\_\_\_ जागता डिप्लोमा इन कार्मिकी संस्थान की स्वाधाना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तुतिया है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम \_\_\_\_\_ (पांच जहाँ पर भूमि लिखित है) \_\_\_\_\_ में गांठ संख्या 8545 एवं \_\_\_\_\_ रक्कां क्रमांक \_\_\_\_\_ एवं 1-013 हेक्टेयर (कुल रक्कां 1-013 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी बाद किरी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पांच पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गांठ संख्या 8545 एवं \_\_\_\_\_ रक्कां क्रमांक \_\_\_\_\_ एवं हेक्टेयर (कुल रक्कां 1-013 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन कार्मिकी संस्थान की स्वाधाना किये जाने का प्रत्याप सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 25/6/2023 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा कार्मिकी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पांच पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर कार्मिकी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अतर्पत ही डिप्लोमा कार्मिकी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।



8. यह कि, इस संख्या में फार्मसी काउन्सिल और इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक चिकित्सा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रधेश सभाता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि पर इस पर निर्मित भवनों में कार्मसी काउन्सिल और इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक चिकित्सा परिषद, उत्तर लखनऊ से सम्बद्ध सभाता एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/चिकित्सालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/प्रियास्प/महाविद्यालय/आईआईआई आदि का संचालन न हो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कलास रुग्म, प्राणीगतालाओं एवं कार्यसालाओं आदि को कार्मसी काउन्सिल और इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक चिकित्सा परिषद के मानकों के अनुसार ही मुख्यजित किया जायेगा।
11. यह कि, सभाता के संचालन हेतु आवश्यक रोडिंग एवं अग्रिम रुट्ट की सेवाती गोलाइटी/ट्रॉफट द्वारा सत्र प्राप्त के पूर्व कर दिया जायेगा।
12. यह कि, गोपनीय/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे संचालन में किसी भी समय स्वतीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कल्पी पार्टी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिम होगा एवं नुज़े मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निवारी जानकारी में पूर्ण, रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अग्रिम/दरतावेज, कर्जी, कूटविधित अधिकार त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विलद परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकती। ऐसी दी गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

हो संधिव

हो अध्यक्ष

